

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

राजेश कुमार

मीमसिंह आदि

दावा बाबत :- 88 RAAS

मुकदमा नम्बर :- 223/2021

निर्णय दिनांक :- 23.11.2021

वादी की ओर से वकील राजेश सहारवा की व प्रतिवादी सं० 1 का उकी ओर से वकील रामजस ठाकुर की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23.11.2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रोहा मीमसिंह के खाता सं० 180/170 के खासरा सं० 243 की 50260 है, खासरा सं० 523 की 17830 है, खासरा सं० 546 की 27830 है कुल रु. 59200 है वारानो खातेदार लुमि मुनि प्रतिवादी सं० मीमसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अतः प्रतिवादी सं० मीमसिंह के वजारे वादी राजेश कुमार व प्रतिवादी सं० 2 प्रदीप कुमार को उद्दिष्टा के व प्रतिवादी सं० मीमसिंह को 1/2 हिस्सा के खातेदार का आकार घोषित किया जाता है मुझे प्रतिवादी सं० 3 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 के पास में त्याग कर चुका कर लिया है उसी लिए त्याग किम उद्दिष्ट पर पंजाब विभाग का दूध पुजाभन मुल्क अदा करने व यदि लुमि मुनि ने रु. 59200 रकम ही तो रकम मुझे देने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में कुल वरामद किया जाय राजनामा का डिक्री का माता 461 जाय

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)  
R.A.S.  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़  
दिनांक 23.11.2021